

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),  
उत्तर प्रदेश शासन।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2017**

विषय:- श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0-1986 को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-08-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

**भवदीय,**

**(उदय भानु त्रिपाठी)**

**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0, पता-5/162 के, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**

**संयुक्त सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),  
उत्तर प्रदेश शासन।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ:**

**दिनांक: 01 सितम्बर, 2017**

विषय:-श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0-1986 के जी0आई0एस0 प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0, जो अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-08-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मामले में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक-यथोक्त।**

**भवदीय,**

**( उदय भानु त्रिपाठी )**

**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0, पता-5/162 के, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**

**संयुक्त सचिव।**

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या-93/2017/1252/दो-2-2017-28/2(3)/2017**  
**लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2017**

**आदेश**

श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-69176 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-173/800/50897 दिनांक 23-08-2017 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-45,22,252-00 (रूपये पैतालिस लाख बाईस हजार दो सौ बावन मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-40,70,026.80 अर्थात रू0-40,70,027.00 (रूपये चालीस लाख सत्तर हजार सत्ताईस मात्र) होती है, के भुगतान किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4ए0जी057/दस-84-510/84 दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राम अरज मौर्य पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं है।

**उदय भानु त्रिपाठी**  
**विशेष सचिव ।**

**संख्या एवं तददिनांक।**

प्रतिलिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करने का कष्ट करें।
- 3- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0, पता-5/162 के, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**  
**संयुक्त सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पेंशन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2017**

विषय:- श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0-1986 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-08-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राम अरज मौर्य के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-यथोक्त ।**

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राम अरज मौर्य, पी0सी0एस0, पता-5/162 के, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।